

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर

क्रमांक: RABI-2079-SMF-01 / 4354

दिनांक: 08/08/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: ASI/AGRI/2079/SIK/0006917

10.08.2023

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
रीगस	2415	SMF	75%-100%	26069537
पाटन	126	SMF	75%-100%	905908
सीकर	17	SMF	75%-100%	154190
नीमकाथाना	405	SMF	75%-100%	2495751
खण्डेला	339	SMF	75%-100%	3794904
नेछवा	639	SMF	75%-100%	5030674
योग	3941			38450964

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-05-12 बजट मद पर भारत होगी।

जिला कलेक्टर,
सीकर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
सीकर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by S. Babh Swami
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2023.08.10 17:42:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4478422

